

विज्ञापन (वॉक इन इन्टरव्यू) गाँधी पॉलीटेक्निक, मुजफ्फरनगर

No - 1122

dt - 04/10/25

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित Community Development Through Polytechnic (सीडीटीपीटी) जनपद मुजफ्फरनगर योजनान्तर्गत निम्न पदों के लिये अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी संस्था की वेबसाइट www.gandhipolytechnicmzn.com पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्रों, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक का पूर्ण विवरण एवं 02 पासपोर्ट साइज फोटो स्वप्रमाणित के साथ दिनांक 08.10.2025 को प्रातः 11:30 साक्षात्कार हेतु संस्था कार्यालय में उपस्थित हों।

Post Name	No. Of Vacancies	Minimum Qualification
Community Development Consultant	01	Second-class Master's Degree Social Work/Rural Development/Agriculture/Agriculture Extension or any other Branch of Social Sciences. OR Second-class Diploma in any branch of Engineering/Technology with two year's experience in Community Development/Rural Development Related Work.
Junior Consultant For Extension Centre	01	Second-class Diploma in any branch of Engineering/Technology. Preferably with one year's experience in Community Development/Rural Development related work. OR Second Class Bachelor's degree in any discipline with one year of experience in Industry/Rural Development/Community Development Work.

सामान्य जानकारी-

- रोजगार का प्रकार: अनुबन्ध आधारित।
- समेकित मानदेय:
 - Community Development Consultant Rs. 20.000/- Per Month
 - Junior Consultant-Rs. 12.000/- Per Month
- अभ्यर्थी का कार्य क्षेत्र जिला-मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत होगा।
- साक्षात्कार का शामिल होने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का टी0ए0/डी0ए0 अनुमन्य नहीं होगा।

अनुबन्ध की शर्तें-

- नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबन्ध के आधार पर परियोजना के लिये है, इसलिये, नियुक्ति के पास अनुबन्ध के आधार पर संस्थान में किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है और न ही संस्थान में किसी अन्य पद (पदों) या लाभों पर कोई योग्यता होगी।
- अनुबन्ध की शर्तों की स्वीकृति पर, अनुबन्ध की स्थिति में शामिल होने की तारीख से अधिकतम छह महीने के लिये है। अनुबन्ध को किसी भी पक्ष से एक महीने के नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
- नियुक्त व्यक्ति अनुबन्ध पर अपनी नियुक्ति के बाद पहले दो महीनों की अवधि के लिये परीक्षण के आधार पर रहेगा। जिसके दौरान यदि उसकी सेवायें संतोषजनक नहीं पायी जाती हैं तो उसे एक सप्ताह का नोटिस देकर सेवा से हटाया जा सकता है।

(राजीव सिंह)

प्रधानाचार्य

गाँधी पॉलीटेक्निक, मुजफ्फरनगर।

प्रधानाचार्य

गाँधी पोलिटेक्निक

मुजफ्फरनगर

04/10/25



गाँधी पॉलीटेक्निक, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)

पॉलीटेक्निक द्वारा सामुदायिक विकास योजना
(सी.डी.टी.पी.)
(कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित)
निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ग
सामान्य जाति ☐
पिछड़ी जाति ☐
अनुसूचित जाति/जनजाति ☐
अल्पसंख्यक ☐
पुरुष/महिला ☐

आवेदन पत्र

क्रम संख्या

दिनांक

प्रशिक्षण अवधि

प्रशिक्षण का नाम

प्रशिक्षण/प्रसार केन्द्र का नाम

नोट: (अ) आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वच्छ एवं स्पष्ट रूप से भरा जाये। (ब) आवेदन पत्र एवं ट्रेनिंग के लिए कोई फीस नहीं ली जायेगी और न ही कोई स्ट्राइपेन्ड दिया जायेगा। (स) मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटो कॉपी संलग्न करें।

१. प्रार्थी का नाम श्री/कुमारी/श्रीमती

२. प्रार्थी की जन्मतिथि

३. पिता/पति/संरक्षक का नाम

व्यवसाय/आय (अनुमानित)

४. पत्र व्यवहार का पता- ग्राम/शहर

ब्लॉक जिला

५. आधार सं०

६. क्या आप किसी व्यवसाय में कार्यरत हैं। यदि हाँ तो विवरण लिखें

७. शैक्षणिक योग्यता (अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें):

कक्षा (जो भी पास की हो)	प्राप्तांक	श्रेणी	वर्ष	स्कूल/कॉलेज का नाम

नोट (१) किसी ट्रेड में योग्य अभ्यर्थियों की उपयुक्त संख्या होने पर ही प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा भरे गये तथ्य सही हैं। मैं ट्रेनिंग सम्बन्धी सभी नियमों का पालन करूंगा/करूंगी। मेरी उपस्थिति ८० प्रतिशत से कम होने पर या लगातार एक सप्ताह तक अनुपस्थित रहने पर यदि मुझे ट्रेनिंग से वंचित कर दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

(लेखाकार/लेखा लिपिक)

(परियोजना समन्वयक)

(प्रधानाचार्य/मुख्य परियोजना समन्वयक)

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF COMMUNITY DEVELOPMENT CONSULTANT AND JUNIOR CONSULTANT UNDER THE SCHEME OF C.D.T. P.

8.3 Community Development Consultant:

- i. Planning, organizing and supervising the activities of the scheme.
- ii. Coordination with various departments in the institution.
- iii. Identifying live projects to be taken by students/staff.
- iv. Review the work done by the different centres.
- v. Provide academic inputs, necessary support and guidance for different activities.
- vi. Implement the total annual operational plan.
- vii. Supervising fabrication and testing work.
- viii. Preparation of Periodic reports for concerned authorities.
- ix. Maintain data of pass out students.

Minimum Educational Qualifications prescribed for the post of Community Development Consultant:

Second-class Master's degree in Social Work/Rural Development/ Agriculture/ Agriculture Extension or any other branch of Social Sciences

Or

Second-class diploma in any branch of Engineering/Technology with 2 years' experience in Community Development/Rural Development related work.

8.4 Junior Consultant:

- i. Conducting survey regarding requirements of skill development programs and dissemination and transfer of affordable and appropriate technologies.
- ii. Acquainting the villagers with affordable technologies to be used by them.
- iii. Conducting awareness, orientation and demonstration camps in different areas for the villagers and slum dwellers.
- iv. Supervising the work of Trainers at the Training Centres/Extension Centres.

Minimum Educational qualifications for the post of Junior Consultant:

Second-class Diploma in any branch of Engineering or Technology, preferably with one-year experience in community development/rural development related work.

Or

Second-class Bachelor's degree in any discipline with one-year experience in Industry/Rural Development/Community Development work.

8.5 Guest Trainers (preferably retired persons):